

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: अधिसूचना ::


पटना-15, दिनांक-01.06.2018.

संख्या-12/प0 (का0दंडा0)-1701/18 सा0प्र0.....7313...../श्री राजीव मोहन सहाय (RDD/001558),
(गृह जिला-अन्य राज्य, पैतृक विभाग-सहकारिता विभाग), कार्यपालक दंडाधिकारी, पटना सदर को
स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दंडाधिकारी, लखीसराय के पद पर प्रतिनियुक्ति
के आधार पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री अनिल कुमार (RDD/001011, गृह जिला-शिवहर) सम्प्रति कार्यपालक दंडाधिकारी,
लखीसराय के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापित हैं, की सेवाएँ तत्कालिक प्रभाव से
उनके पैतृक विभाग-पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को वापस की जाती है।


3. श्री राजीव मोहन सहाय को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के
अन्तर्गत लखीसराय अनुमंडल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।
साथ ही उन्हें लखीसराय जिला में दंड प्रक्रिया संहिता-1973 (एक्ट-2, 1974) की धारा-144 का
प्रयोग करने हेतु भी शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विमलेश कुमार झा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-12/प0 (का0 दंडा0)-1701/18 सा0प्र0.....7313...../पटना-15, दिनांक-01.06.2018.

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार
राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम
से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार,
पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य
संचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार,
पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/सहकारिता विभाग, बिहार,
पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, पटना/
जिला पदाधिकारी, लखीसराय/अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त
सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।